एसजेवीएन लिमिटेड
शक्ति सदन, कारपोरेट कार्यालय परिसर, शनान,
शिमला-171006, हिमाचल प्रदेश
सीआईएन: एल40101एचपी1988जीओआई008409

एसजेवीएन लिमिटेड

निर्धारित अधीनस्थ कंपनियों संबंधी नीति

पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य

एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएन या " कंपनी") अन्य के अलावा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("सेबी")17 अप्रैल,2014 तथा सितम्बर,2014 के अपने परिपत्रों के जरिए बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित है । सेबी के लिस्टिंग विनियम सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा महत्वपूर्ण अधीनस्थ कंपनियों के निर्धारणार्थ एक नीति की रचना करने को जरूरी बनाते हैं ।

कंपनी के निदेशक मंडल ("बोर्ड") ने सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार ' सामग्री' अधीनस्थ कंपनियों ("नीति") के निर्धारण हेतु नीति और प्रक्रियाओं को अपनाया है ।

इस नीति का उपयोग सामग्री अधीनस्थ कंपनी तथा भारत की गैर-सूचीबद्ध सामग्री अधीनस्थ कंपनियों के निर्धारण करने एवं ऐसी अधीनस्थ कंपनियों के लिए शासन ढांचे को प्रदान करने के लिए किया जाएगा ।

इस नीति में उपयोग किए गए सभी शब्द ओर अभिव्यक्तियां, जब तक कि उसे बाद परिभाषित नहीं की जाती हैं, क्रमश: कंपनी अधिनियम,2013 ("अधिनियम") और उसके अनुसार लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंतर्गत तथा समय-समय पर संशोधित नियम, अधिसूचनाएं एवं जारी किए गए परिपत्र, उसकी परिभाषा या स्पष्टीकरण की अनुपतिथिति में उन्हें सौंपे जाएंगे ।

लेखा परीक्षा समिति आवधिक रूप से नीति की समीक्षा करेगा तथा जैसाकि आवश्यक समझा जाएगा जा सके समय-समय पर उनमें संशोधन करेगी ।

परिभाषाएं:

"ऑडिट समिति" का अर्थ सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) के विनियम 2017 एवं कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर गठित बोर्ड की ऑडिट समिति ।

"बोर्ड" का अर्थ है कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 2(10) में परिभाषित निदेशक मंडल ।

"अधीनस्थ कंपनी" का अर्थ है कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 2(87) में परिभाषित एक अधीनस्थ कंपनी।

"गैर-सूचीबद्ध अधीनस्थ कंपनी" का अर्थ हे एक अधीनस्थ कंपनी जो स्टॉक एक्सचेजों में सूचीबद्ध नहीं है।

"गैर-सूचीबद्ध अधीनस्थ कंपनी" का अभिप्राय एक अधीनस्थ कंपनी होगा जिसकी प्रतिभूतियां स्टाक एक्सचेजों पर सूचीबद्ध नहीं है जिनकी आय और नेटवर्थ और इसकी अधीनस्थ कंपनी के पूर्व लेखांकन वर्ष में समेकित आय और नेटवर्थ क्रमश: 10 प्रतिशत से अधिक हो ।

" सामग्री अधीनस्थ कंपनी" का अभिप्राय अभिप्राय एक अधीनस्थ कंपनी होगा जिसकी प्रतिभूतियां स्टाक एक्सचेजों पर सूचीबद्ध नहीं है जिनकी आय और नेटवर्थ और इसकी अधीनस्थ कंपनी के पूर्व लेखांकन वर्ष में समेकित आय और नेटवर्थ क्रमश: 10 प्रतिशत से अधिक हो ।

समेकित आय या नेटवर्थ में अधीनस्थ, संयुक्त उद्यम एवं एसोसिएट्स का आनुपातिक हिस्सा शामिल होगा ।

"महत्वपूर्ण लेनदेन या व्यवस्था " से अभिप्राय वैयक्तिक लेनदेन या व्यवस्था से हैं जो कुल राजस्व या खर्च या कुल संपत्ति या देनदारियों के 10% से अधिक या अधिक होने की संभावना है, जैसा भी मामला हो सकता है, सामग्री के गत वित्त वर्ष हेतु सामग्री असूचीबद्ध अधीनस्थ लेखांकन वर्ष ।

नीति एवं प्रक्रिया:

1. लेखा परीक्षा समिति विशेष रूप से कंपनी की असूचीबद्ध अधीनस्थ कंपनी द्वारा तैयार किए गए निवेश संबंधी वित्तीय विवरणियों की समीक्षा भी करेगी ।
2. असूचीबद्ध अधीनस्थ कंपनी की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्तों को कंपनी की बोर्ड बैठकों में नियमित रूप से रखा जाएगा ।
3. बोर्ड को सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और असूचीबद्ध् अधीनस्थ कंपनी द्वारा दर्ज की गई व्यवस्था का विवरण प्रदान किया जाएगा ।
4. सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक मंडल में न्यूनतम एक स्वतंत्र निदेशक असूचीबद्ध महत्वपूर्ण अधीनस्थ कंपनी, चाहे वह भारत में स्थापित हो या नहीं, निदेशक मंडल में एक निदेशक होगा ।

   इस प्रावधान के उद्देश्य से उक्त में कुछ भी प्रतिकूल समाविष्ट होने के बावजूद ' महत्वपूर्ण अधीनस्थ कंपनी ' से एक अधीनस्थ कंपनी अभिप्रेत है जिनकी आय और नेटवर्थ और इसकी अधीनस्थ कंपनी के पूर्व लेखांकन वर्ष में समेकित आय और नेटर्थ क्रमश: बीस प्रतिशत से अधिक हो ।

5. कंपनी अपनी सामग्री अधीनस्थ कंपनी में शेयरों का निपटारा नहीं करेगी जिससे उसकी शेयरहोल्डिंग कम हो जाएगी(या तो स्वयं या अन्य अधीनस्थ कंपनी के साथ) 50% कम हो जाएगा या आम बैठक में विशेष

प्रस्ताव किए बिना ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां अदालत /ट्रिब्यूनल द्वारा अभिस्वीकृति व्यवस्था योजना के तहत इस प्रकार के अनावरण पर अधीनस्थ कंपनी के नियंत्रण के अभ्यास को बंद कर देगी या उक्त संकल्प के तहत निर्दिष्ट अपेक्षाएं दिवालिया संहिता के भाग 31 के तहत मंजूर । सकंल्प योजना के संबंध में लागू नहीं होंगे, बशर्ते यह मानक संकल्प मंजूर होने के एक दिन के अंदर मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज को सूचित किया जाए ।

6. वित्तीय वर्ष के दौरान समग्रता के आधार पर सामग्री अधीनस्थ कंपनी की 20% से अधिक की संपत्ति की बिक्री, निपटान और पट्टे के विशेष प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व अभिस्वीकृति की आवश्यकता होगी जब तक कि कोर्ट/ट्रिब्यूनल द्वारा विविधवत अभिस्वीकृति व्यवस्था की योजना के अंतर्गत बिक्री/निपटान/पट्टा नहीं किया जाता है या उक्त संकल्प के तहत निर्दिष्ट अपेक्षाएं दिवालिया संहिता के भाग 31 के तहत मंजूर । सकंल्प योजना के संबंध में लागू नहीं होंगे, बशर्ते यह मानक संकल्प मंजूर होने के एक दिन के अंदर मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज को सूचित किया जाए ।

V. प्रकटीकरण:

यह " सामग्री" अधीनस्थ कंपनियों की निर्धारण संबंधी नीति " कंपनी की वेबसाईट पर खुली रहेगी और इसका वेब लिंक कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा ।

VI. सुधार एवं संशोधन:

बोर्ड इस नीति की समीक्षा कर सकता है, जैसा कि समय-समय पर लिस्टिंग एग्रीमेंट एवं अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों तथा इस संबंध में प्रभावी संशोधनों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार आवश्यक हो। लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत बाद की कोई भी अधिसूचना, परिपत्र, दिशा-निर्देश या संशोधन जैसा कि समय-समय पर जारी किया गया हो, इस नीति में बिना किसी सुधार या संशोधन के होने वाले यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।